

FORM No. III

APP
Crl

फर्द अहकाम

(निबन्ध 26)

अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई
 रामधन बनाम कुजोशन वर्ग
 मुकदमा नं० 150 सन 2023

तारीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
6 ⁰⁹ / ₂₄	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपास्थित। अप्रार्थीगण शे. 1 लगा. 26 बावजूद जयें रजिस्ट्री एडी नोटिस तामील उपास्थित नहीं। तलबी को एक माह से अधिक समय हो चुका है। अप्रार्थीगण शे. 1 लगा. 26 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर प्रार्थी वकील बहस सुनी गयी। पत्रावली का अक्लोकन किया गया। मूलवाद दावा तक्रारमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है। मूलवाद के विधिवत निस्तारण तक अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि की मौका व रिवांटी की यथास्थिति बनये रहे जाने हेतु प्रतिबंधित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अक्लोकन के आधार पर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 27/10/2023 को ताईसला मूलवाद कुन्फुर्म किया जाता है पत्रावली कुंसल शुमार होकर बाद तक्रमील दाखिल दफ्तर है।</p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई</p>	